

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या - 161/2015/अलवर.

1. मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्रा0 लिमिटेड, एफ-1,
गोविन्द मार्ग, राजा पार्क, जयपुर जरिये डायरेक्टर
श्री धीरेन्द्र मदान, निवासी बी-22, तिलकनगर, जयपुर.
2. मैसर्स रतन डवलपर्स जरिये साझेदार राजेन्द्र कुमार
गुप्ता, निवासी अंकुर वाटिका, शांतिकुंज, अलवर.

.....प्रार्थी.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक अलवर प्रथम

.....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वैभव भार्गव, अभिभाषक

.....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी (राजस्व) की ओर से.

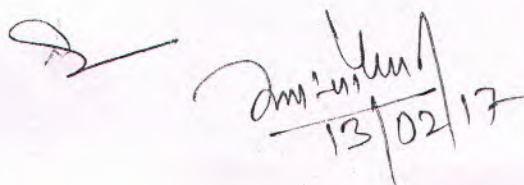
निर्णय दिनांक : 13/02/2017

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक), अलवर (जिसे आगे 'कलेक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 212/2013 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.12.2014 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी संख्या 2 मैसर्स रतन डवलपर्स जरिये साझेदार श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रतनचंद गुप्ता, अंकुर गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, अनुज गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता एवं श्रीमती रामलता गुप्ता पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता (जिन्हें आगे 'भू-स्वामी' कहा जायेगा) द्वारा अपने स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नंबर 468, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479/1612, 480, 481, 481/1611, 481/1610, 479/1608, 473/1614 ग्राम भूगोर जिला अलवर क्षेत्रफल 2.97 हैक्टर के डवलपमेंट का एग्रीमेंट प्रार्थी संख्या 1 मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्रा0 लि0 जयपुर जरिये निदेशक श्री धीरेन्द्र मदान पुत्र श्री डी.आर. मदान (जिसे आगे 'डवलपर' कहा जायेगा) के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसमें बाद डवलपमेंट भू-स्वामी व डवलपर का हिस्सा 37 : 63 का निर्धारित किया गया। डवलपर द्वारा भू-स्वामी को सिक्योरिटी राशि के रूप में रुपये चार करोड़ भी दिये गये, जो कि बिना ब्याज के डवलपर को पुनर्भुगतान किये जाने थे। उक्त डवलपमेंट

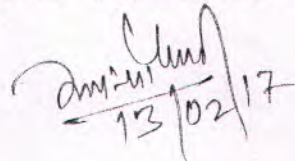
लगातार.....2



एग्रीमेंट दिनांक 23.01.2013 को निष्पादित किया जाकर उप-पंजीयक, अलवर-प्रथम के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। उप-पंजीयक ने तत्समय प्रचलित मुद्रांक अधिनियम के अनुच्छेद 5E के तहत मालियत का 5 प्रतिशत वसूलते हुए मुद्रांक अधिनियम की धारा 54 का प्रमाण-पत्र जारी करते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रुपये 2,01,22,248/- निर्धारित करते हुए तदनुसार मुद्रांक/पंजीयन वसूल की जाकर मूल दस्तावेज पंजीबद्ध कर पक्षकारों को लौटा दिया। तत्पश्चात् महालेखाकार जांचदल द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति को आवासीय उपयोग की मानते हुए तदनुसार प्रश्नगत दस्तावेज कमी मालियत पर पंजीबद्ध होने का आक्षेप किया गया। उक्त आक्षेप की पालना में उप-पंजीयक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत आवासीय दर रुपये 2581/- प्रति वर्गगज से आंकते हुए कुल मालियत रुपये 9,19,66,248/- प्रस्तावित करते हुए कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(2) के तहत रेफरेंस प्रेषित किया गया। उक्त रेफरेंस को कलेक्टर (मुद्रांक) ने यथावत स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण से कमी मुद्रांक शुल्क रुपये 35,92,192/-, सरचार्ज रुपये 3,59,211/-, सिव्योरिटी राशि पर 0.01 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क रुपये 40,000/-, शास्ति रुपये 18,52,020/- एवं ब्याज रुपये 9,26,005/- का आरोपण आदेश दिनांक 29.12.2014 से किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

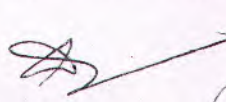
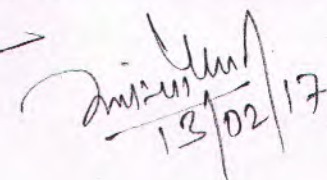
3. बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा डवलपमेंट एग्रीमेंट का निष्पादन दिनांक 23.01.2013 को किया गया है, उक्त दिनांक तक नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का भू-उपयोग रूपान्तरण नहीं किया गया था। अतः दिनांक 23.01.2013 तक भूमि की प्रकृति कृषि ही थी। प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचना स्थानीय समाचार-पत्र में पत्र दिनांक 24.01.2013 के जरिये प्रकाशित करवाई गयी है। नगर विकास न्यास द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवासीय प्रयोजनार्थ सहमति पत्र दिनांक 06.02.2013 को लिखा गया है। इसके पश्चात् नगर विकास न्यास द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन आदेश दिनांक 08.02.2013 को जारी किया गया है एवं भू-रूपान्तरण के पश्चात् आवासीय पट्टा दिनांक 04.06.2013 को प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन कृषि भूमि से आवासीय दिनांक 08.02.2013 को किया गया है, जबकि विवादित डवलपमेंट एग्रीमेंट दिनांक

लगातार.....3

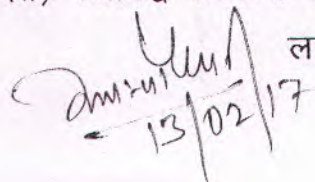


 13/02/17

23.01.2013 को ही निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया है। उक्त समस्त तथ्यों के बावजूद कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा महालेखाकार जांचदल के आक्षेप की अनुपालना में बिना अग्रिम जांच के उप-पंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेंस को यथावत स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण के विरुद्ध भारी मांग कायम किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अभिमत प्रतिपादित किया जा चुका है कि दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को विवादित सम्पत्ति की प्रकृति के अनुसार मालियत का मूल्यांकन किया जावे, ना कि भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा समय-समय पर की गयी कार्यवाही व जारी पत्रों की प्रतियां एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 19 टैक्स अपडेट 355 राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स; हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मनोजकुमार 2010 (2) RRT 731 एवं आर.आर.टी 2012 (1) पेज 532 स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश व अन्य बनाम अम्बरिश टण्डन व अन्य तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (2006) आर. बी.जे. (13) 305 एवं 2006 (1) डी.एन.जे. (राजस्थान) 452 को उद्धरित करते हुए कथन किया कि किसी भी सम्पत्ति की मालियत की गणना उसके विक्रय दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने की दिनांक की अवस्थिति के अनुसार ही की जा सकती है। भविष्य की सम्भावनाओं एवं पश्चातवर्ती उपयोग के आधार पर किसी भी सम्पत्ति की मालियत की गणना नहीं की जा सकती। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 09.05.2011 से प्रश्नगत सम्पत्ति के भू-उपयोग परिवर्तन की अनुशंसा नगर विकास न्यास को की गयी थी, अतः भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 23.01.2013 से पूर्व प्रारम्भ हो जाने के कारण प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत का निर्धारण आवासीय दर से ही किया जा सकता है। इसी आधार पर महालेखाकार जांचदल द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज की मालियत पर पंजीबद्ध होने का आक्षेप किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थीगण की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

  13/02/17 लगातार.....4

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।
6. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के डवलपमेंट का एग्रीमेंट दिनांक 23.01.2013 को निष्पादित किया गया है, जिसमें डवलपमेंट के पश्चात भू-स्वामी एवं डवलपर का 37 : 63 का हिस्सा है, सम्पत्ति का किसी प्रकार का बेचान नहीं किया गया है। प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि प्रश्नगत सम्पत्ति की प्रकृति दिनांक 23.01.2013 को कृषि भूमि थी अथवा आवासीय ? इस सम्बन्ध में कलेक्टर (मुद्रांक) की पत्रावली एवं निगरानी प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का उपयोग कृषि से अकृषि किये जाने बाबत प्रार्थना-पत्र नगर विकास न्यास के समक्ष दिनांक 03.05.2010 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर नगर विकास न्यास द्वारा प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् विभिन्न विभागीय कार्यवाहियों/बैठकों/पत्राचार के पश्चात् राज्य सरकार की बैठक दिनांक 06.04.2011 में प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अनुशंषा जरिये पत्र क्रमांक टीपीआर: 1120/एसएलसी/116/2011/7438-7454 दिनांक 09.05.2011 से नगर विकास न्यास, अलवर को की गयी। उक्त अनुशंषा की पालना में प्राधिकृत अधिकारी 90(क), नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 24.01.2013 को प्रकाशन करवाया गया। तत्पश्चात् नगर विकास न्यास द्वारा प्राधिकृत अधिकारी 90(क), नगर विकास न्यास, अलवर को आवासीय प्रयोजनार्थ सहमति पत्र दिनांक 06.02.2013 को लिखा गया। तत्पश्चात् नगर विकास न्यास द्वारा जरिये आदेश क्रमांक 90क/467 दिनांक 08.02.2013 से प्रश्नगत सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन कृषि से अकृषि किये जाने बाबत आदेश जारी किये गये तथा नगर विकास न्यास द्वारा प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आवासीय पट्टा विलेख दिनांक 04.06.2013 को निष्पादित किया जाकर उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया है।
7. उक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि डवलपमेंट एग्रीमेंट निष्पादित किये जाने की दिनांक 23.01.2013 को प्रश्नगत सम्पत्ति कृषि भूमि थी, जिसका किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा कृषि से अकृषि उपयोग हेतु भू-रूपान्तरण नहीं किया गया था। डवलपमेंट एग्रीमेंट निष्पादित/पंजीबद्ध होने के पश्चात् नगर विकास न्यास द्वारा भू-उपयोग कृषि से आवासीय परिवर्तित किया गया है एवं प्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित/पंजीबद्ध करवाया गया है।

लगातार.....5

8. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 19 टैक्स अपडेट 355 राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"We are of the opinion that the view taken by the learned single Judge as well as by the Division Bench cannot be sustained and the same is set aside. The Collector shall determine what was the valuation of the instrument on the basis of the market value of the property at the date when the document was tendered by the respondent for registration, and the respondent shall pay the stamp duty charges and surcharges, if any, as assessed by the Collector as per the provisions of the Act."

9. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2012 (1) पेज 532 स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश व अन्य बनाम अम्बरिश टण्डन व अन्य में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

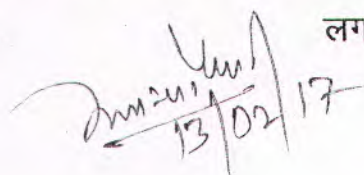
"Indian Stamp Act, 1899 - Sec. 47-A & 23 - Demand notice for deficient stamp duty challenged - Collector treated the property as commercial without giving opportunity of hearing - At the time of execution of sale deed property was in use as a residential purpose - No corner plot - **At the later point of time property is being used as commercial is not a relevant criteria for assessing the value of the property** - Relevant date is the date of purchase for determination of the nature of the property - Held, Demand notice rightly quashed."

10. इसी प्रकार का मत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मनोजकुमार के न्यायिक दृष्टान्त 2010 (2) RRT 731 में प्रतिपादित किया गया है।

11. इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा निम्न निर्णयों में व्यवस्था दी गयी है कि -

(1) निगरानी संख्या 2314/2012 व 2315/2012/अलवर श्री समयसिंह चौहान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2015 में माननीय खण्डपीठ द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि कृषि भूमि के संभावित उपयोग एवं भविष्य में होने वाले उपयोग को देखते हुए भूमि की मालियत की गणना वाणिज्यिक दर से नहीं की जा सकती है।

(2) निगरानी संख्या 2286/2007/नागौर में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2010 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि -

लगातार.....6

"The value of the agricultural land will be determined as per the situation of the land on the date of registration."

(3) आर.बी.जे. (16) 2009 पेज 57 फूलचन्द पुत्र श्री श्यामाराम जाट, झुंझुनू बनाम राज्य सरकार जरिये उप-पंजीयक, चिड़ावा व अन्य में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

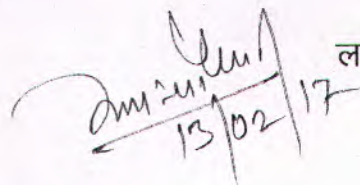
"INDIAN STAMP ACT, 1899 - Section 47-A (4) Market Value - When in Jamabandhi and Girdawari, land has been recorded as agricultural land, Market Value of such land cannot be determined as commercial or residential. In this case, disputed land in the revenue record was recorded as agricultural land. But for the purpose of determining the stamp duty liability at the time of registration of the document, the market value of the land was determined as commercial and residential. Whereas stamp duty can be charged only on the basis of nature of the land on the date of registration. Therefore stamp duty of the disputed land will be charged as agricultural land. Revision accepted."

12. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(8)वित्त/कर/90 दिनांक 4.12.2002 एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर के परिपत्र संख्या 2/2004 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर मूल्यांकन नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। बिन्दु संख्या 9 निम्न प्रकार है :-

9. भूमि के सम्भावित उपयोग एवं भविष्य में होने वाले उपयोग के अनुसार भूमि का मूल्यांकन नहीं करें :

राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प.2(8)वित्त/कर/90 दिनांक 4.12.2002 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दस्तावेज निष्पादन के समय हस्तान्तरित की जा रही भूमि के उपयोग, रूपान्तरण, भू-उपयोग परिवर्तन के आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जावे। सम्भावित उपयोग एवं भविष्य में होने वाले उपयोग के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।"

13. इसी प्रकार महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के परिपत्र संख्या 5/2006 क्रमांक एफ-7(67)जन/06/2285-2720 दिनांक 30.01.2006 में भी सम्भावित उपयोग एवं भविष्य में होने वाले उपयोग के अनुसार मूल्यांकन नहीं किये जाने बाबत निर्देश दिये गये हैं।

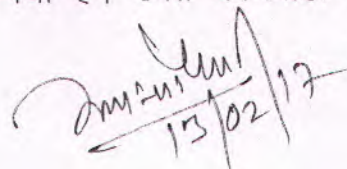
लगातार.....7

14. हस्तगत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेंट में कृषि भूमि की दर से मालियत की गणना पर देय मुद्रांक/पंजीयन शुल्क अदा किया जाकर दस्तावेज का पंजीयन करवाया गया है, इसके पश्चात् नगर विकास न्यास द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात् निष्पादित पट्टा विलेख पर भी नियमानुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क अदा की जाकर दस्तावेज का पंजीयन करवाया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि की दर से निर्धारित मालियत पर एवं तत्पश्चात् आवासीय उपयोग हेतु जारी किये गये पट्टा विलेख पर मुद्रांक/पंजीयन शुल्क अदा की जा चुकी है। इस प्रकार एक ही पक्षकार द्वारा एक ही सम्पत्ति के लिये दो बार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क अदा किया जा चुका है।

15. इसके अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश के पृष्ठ 4 के द्वितीय पैरा में स्वयं विभागीय प्रतिनिधि ने भूमि का आवासीय उपयोग दिनांक 08.02.2013 को होना स्वीकार किया गया है। तहसीलदार, अलवर की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.01.2013, जो कलेक्टर (मुद्रांक) की पत्रावली के पृष्ठ 143 पर संलग्न है, में तहसीलदार द्वारा विवादित खसरा नम्बरों की भूमि पर कृषि होना अंकित किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर के आदेश दिनांक 08.02.2013, जो कलेक्टर (मुद्रांक) की पत्रावली के पृष्ठ 146 पर संलग्न है, के बिन्दु संख्या (3) में अंकित किया है कि "आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।" ऐसी स्थिति में ऑडिट आक्षेप के आधार पर रेफरेंस प्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा बिना कोई युक्तियुक्त/न्यायिक कारण अंकित किये रेफरेंस को यथावत स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण के विरुद्ध भारी मांग कायम किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

16. जहां तक राज्य सरकार की अनुशंसा दिनांक 09.05.2011 का प्रश्न है, वह प्रश्नगत सम्पत्ति एवं राज्य की अन्य सम्पत्तियों के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण है, जिसमें विभिन्न सम्पत्तियों के भू-उपयोग परिवर्तन की अनुशंसा की गयी है, ना कि भू-उपयोग परिवर्तन का आदेश जारी किया गया है। उक्त कार्यवाही विवरण की प्रतियां

लगातार.....8

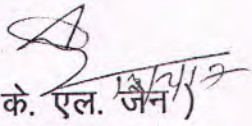



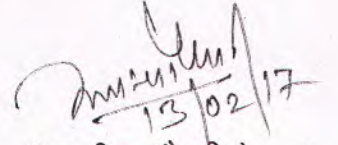
राज्य के सम्बन्धित नगर विकास न्यासों को प्रेषित की गयी है, पक्षकारों को इसकी प्रति भी उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। ऐसी स्थिति में कार्यवाही विवरण के आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन मानते हुए ऑडिट द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज कमी मालियत पर पंजीबद्ध होने का आक्षेप किये जाने में; आक्षेप की पालना में उप-पंजीयक द्वारा रेफरेंस प्रेषित किये जाने में एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा रेफरेंस को यथावत स्वीकार किये जाने में विधिक/तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है।

17. उक्त विवेचन से निष्कर्षित किया जाता है कि डवलपमेंट एग्रीमेंट निष्पादित किये जाने की दिनांक को प्रश्नगत सम्पत्ति की प्रकृति कृषि भूमि की थी, जिसकी मालियत की गणना कृषि भूमि के लिये प्रचलित दर से ही की जा सकती है। उप-पंजीयक द्वारा डवलपमेंट एग्रीमेंट पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को प्रचलित कृषि भूमि की दर से मालियत की गणना करते हुए तदनुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल की जाकर दस्तावेज का पंजीयन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित घोषित किया जाता है।

18. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर (मुद्रांक) का आदेश दिनांक 29.12.2014 अपास्त किया जाता है।

19. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(राजीव चौधरी)
सदस्य